505

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2003

सा.का.नि. 92.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, बर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसुची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विर्निदिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरहेता.-वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवन्ध करना अपेक्षित है।

				अनुसूच	ग्री संस्थान
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह- ज्येष्ठता अथ अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा त्रित लिए आयु-सीमा वा
1	2	3	4	5	6
आचार्य (नेत्र विज्ञान)	01* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननु- सचिवीय	18600-500- 22100 रु. और, प्रैक्टिस- बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,

	11 br (1775) 2 6		1 100
व्यक्ती होत्रियों का गाँव गाँव हो का का भी आगोज पत्र सिता से का व्यक्त प्रायमण्ड (होंदे लिखा)) के गाँव पर पत्र ली की प्रस्तान क वाले का की मानुसार किस्ताल कर प्रायम का पर प्रायम्बद्धां की किस्ताल कर	मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम् राज्य केलदाख खंड, हिमाचल प्रदेश और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप य के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गा	मू–कश्मीर । के लाहौल पांगी . उप– 1 लक्षद्वीप	अस्पताल, लंडो
	टिप्पण 1 : गैर-आ्युर्विज्ञान अर्हत ज्येष्ठ प्राध्यापक, उपाचार्य और आचा में शिक्षकों की संख्या इन श्रेणियों :	ाओं सहित र्य की श्रेणी में पदों की	(2) वे रा 2. वे मिय 3. पद सं
in the second	कुल संख्या के तीस प्रतिशत से अ होगी।	धिक नहीं प्राध्यक्ष के	बढ अनुसूची के ब अत्री द
	टिप्पण 2 : आचाय के पर फो विन रूप में पदाभिहित होने की दशा मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान डिग्री अर्हता अर्हता वाले शिक्षकों को ही पद	में केवल या समतुल्य	क का व का का इ. मिस्हेल
	किया जाएगा।	िबसने एम व्या	(滞)
Address and the Production of the Production	ि या अपनी पेनरा का पार्टन रहत हुए	िवासने आपने ज	(157)
The second se	and be that have many stories .		
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और उ	प्रन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वा		ती अवधि, यदि
নয় বিশেষ যোগৰ বিশ্ব কৰা বিশেষ হয়। মৃত্যু হোগ কৰাই প্ৰথম সাজ্যায় বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বি হয় লৈ বিশ্ব কৰিবলৈ প্ৰথম বিশ্ব বি	व्याक्तयों को लिए पिस्ट आयु और शैक्षिक अर्ह प्रोन्नत व्यक्तियों की दश लागू होंगी या नहीं	ताए जिन्हें किने के समय ह जिन्हें जीव के समय	। हैं उन्हें लेखबद्ध घरात आलेख राज
	व्याक्तयों के लिए पिहि आयु और शैक्षिक अर्ह प्रोन्नत व्यक्तियों की दश लागू होंगी या नहीं 9	ताए जिन्हें कि निरुष्ठ ह जिन्हें जीव की कि जिन्हें कि निर्वेशन	् गिथित । ते उन्हें लेखनद वास <u>सरहरान</u> 01
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1 की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर मे	व्याक्तयों को लिए पिस्स आयु और शैक्षिक अर्हत प्रोन्नत व्यक्तियों की दश लागू होंगी या नहीं 9 956 का 102) आयु : नहीं य अर्हता और शैक्षिक अर्हताएं : हां	ताए ॥ में सीधे भर्ती	ं शिक्ति । हे उन्हें लेखनद्व प्रतन अव्येद दार
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1 की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर मे होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (नेत्र वि	व्याक्तयों को लिए पिसि आयु और शैक्षिक अर्हत प्रोन्नत व्यक्तियों की दश् लागू होंगी या नहीं 9 956 का 102) आयु : नहीं य अर्हता और शैक्षिक अर्हताएं : हां रं रजिस्ट्रीकृत	ताए ॥ में सीधे भर्ती	ग्रिजी 10 किए जाने वाले के लिए एक वर्ष
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1 की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (नेत्र वि एस. (नेत्र विज्ञान) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 व जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महावि	व्याक्तयों को लिए पिस्स आयु और शैक्षिक अर्हत प्रोन्नत व्यक्तियों की दश् लागू होंगी या नहीं 9 956 का 102) आयु : नहीं य अर्हता और शैक्षिक अर्हताएं : हां में रजिस्ट्रीकृत वज्ञान) या एम. र्ष का अ नुभव वद्यालय/शिक्षण	ताए 11 में सीधे भर्ती व्यक्तियों व	ग्रिजी 10 किए जाने वाले के लिए एक वर्ष
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1 की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (नेत्र वि एस. (नेत्र विज्ञान) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 व जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महावि संस्था में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए टिप्पण 1 :— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में	व्याक्तयों को लिए पिस्स आयु और शैक्षिक अर्हत प्रोन्नत व्यक्तियों की दश् लागू होंगी या नहीं 9 956 का 102) आयु : नहीं य अर्हता और शैक्षिक अर्हताएं : हां में रजिस्ट्रीकृत वज्ञान) या एम. र्ष का अ नुभव वद्यालय/शिक्षण	ताए 11 में सीधे भर्ती व्यक्तियों व	गिर्णि इ.स.म. 10 किए जाने वाले के लिए एक वर्ष के लिए एक वर्ष
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1 की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (नेत्र वि एस. (नेत्र विज्ञान) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 व जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महावि	व्याक्तयों के लिए पिस आयु और शैक्षिक अर्हत प्रोन्नत व्यक्तियों की दश् लागू होंगी या नहीं 9 956 का 102) आयु : नहीं य अर्हता और शैक्षिक अर्हताएं : हां रें रजिस्ट्रीकृत वज्ञान) या एम. वज्ञान) या एम. वज्ञान सेवा देवा आयोग के अभ्यार्थियों की संघ लोक सेवा 5 लिए अपेक्षित में उपलब्ध होने	ताए n में पित होन नेजल ह सीधे भर्ती व्यक्तियों वे हायन किस्तु हायन किस्तु हायन किस्तु हात्र हायन किस्तु हायन किस्तु हायन किस्तु हायन किस्तु हायन किस्तु हायन किस्तु हायन किस्तु हायन किस्	गिर्णि इ.स.म. 10 किए जाने वाले के लिए एक वर्ष के लिए एक वर्ष

प्रतिनियुक्ति/	िंत : भर्ती सीधे 'आमेलन द्वारा त' ले पदों की प्रतिश	যা বিभিन <mark>्न पद</mark> ्ध	ि द्वारा या तियों द्वारा	प्रतिनिष प्रतिनिष	युक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे युक्ति/आमेलन किया जाएगा हार्याही कार्यात्राय कार्यात्र	
	11		a crus de de Ma	f den fil	12	and a labele
प्राग्गात/प्राता संविदा भी है	नियुक्ति (जिस) जिसके न हो ।	क अतगत उ सकने पर सीध	भल्पका।लक ो भर्ती द्वारा।	 केन्स्वशास (क) (ख) (ख) (ख) II. उपा श्रेणं जाप पोषक प्र पोषक प्र पोषक प्र पोषक प्र पोषक प्र पोषक प्र पर नियु पर नियु पर नियु 	(/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविद्ध द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी ते संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए (ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतन 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं। चार्य (नेत्र विज्ञान) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के यार्थ (नेत्र विज्ञान) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के त्या और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन ह ति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।) वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंकित क्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। युक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उज् वभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य व केत की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं ह क्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिप वदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधि	ो निकायों/ :
	। प्रोत्रति समिति ।		तंरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ ले	Carl and provide and the second
समूह 'क' वि 1. गृह सचिव 2. सचिव, अ 3. प्रधानाचार्य	13 बभागीय प्रोन्नति व, चंडीगढ़ प्रशान रायुविज्ञान शिक्षा र्व, सरकारी आयु	समिति पुष्टि तन और अनुसंधान	ट के संबंध में दि न, चंडीगढ़ प्रशार	—अध्यः सन —सदस्य	से परामर्श किया जाएगा। 14 ह लिए : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग क करना आवश्यक है।	रोजनि र ⁹ गरि संविदा मां हे
समूह 'क' वि 1. गृह सचिव 2. सचिव, अ	13 बभागीय प्रोन्नति व, चंडीगढ़ प्रशान रायुविज्ञान शिक्षा र्व, सरकारी आयु	समिति पुष्टि तन और अनुसंधान	ट के संबंध में दि न, चंडीगढ़ प्रशार	— अध्य	से परामर्श किया जाएगा। 14 ह लिए : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग क करना आवश्यक है।	रोजनि र ⁹ गरि संविदा मां हे
समूह 'क' वि 1. गृह सचिव 2. सचिव, अ 3. प्रधानाचार्य अस्पताल,	13 क्मागीय प्रोन्नति व, चंडीगढ़ प्रशान रायुविंज्ञान शिक्षा युंडीगढ़ चंडीगढ़ 2	समिति पुष्टि सन और अनुसंधाग विज्ञान महाविद्य 3	ट के संबंध में दि न, चंडीगढ़ प्रशार प्रालय और 4	— अध्य सन — सदस्य — सदस्य 5	से परामर्श किया जाएगा। 14 ह लिए : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग करना आवश्यक है। 1	ीम ² । कोल्क् ही मि उठविंग से परामर्श ¹⁶ •
समूह 'क' वि 1. गृह सचिव 2. सचिव, अ 3. प्रधानाचार्य अस्पताल, 1 2. उपाचार्य (नेत्र विज्ञान)	13 क्यागीय प्रोन्नति व, चंडीगढ़ प्रशाग मयुर्विज्ञान शिक्षा चंडोगढ़ 2 01* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समिति पुष्टि सन और अनुसंधान वेज्ञान महाविद्य 3 साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननु– सचिवीय	ट के संबंध में दि न, चंडीगढ़ प्रशास प्रालय और 4 16350-450- 18600 -500- 20100 रु. और प्रैक्टिस-बंदी भत्ता	— अध्य सन — सदस्य 5 योग्यता द्वारा चयन	से परामर्श किया जाएगा। 14 ह लिए : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग करना आवश्यक है।	ोगे के लिखान ही जिल्लान से परामर्श

0	treast, thing a	10 910 81212 IN 11	10 31 6
कः : (i) भारतीय आयुविंज्ञान परिषद् 1956 (1956) में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या सम ाज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजि हिए। कसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी.	तुल्य अर्हता और तस्टर में रजिस्ट्रीकृत . (नेत्र विज्ञान)/एम.	ा साह किर शेगांड भर देव	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष
नेत्र विज्ञान) या समतुल्य। स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सह क/प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव।	विशेषज्ञता में किसी	्मित् सः कृतदाव संगल्धनः १९९४ व्यक्तिः संगलवार्थः वि संग्रितिः संगलवार्थः विषयि (१९२४	
ा : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की द के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	शा में संघ लोक सेवा		
12:—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ त नुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्र की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भ रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त स भावना नहीं है।	यों के अभ्यर्थियों की 5म पर संघ लोक सेवा 1रने के लिए अपेक्षित		
ोय : इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमां धान प्रकाशन ।	कित कम से कम चार	agosi set në tos	
	alis in an an an an ar		
গাঁদ লো 11 বন স কিলাপেটাৰ লাই বি পিন্দ বিদ		12 yrs 1 14	हें कोधीय सीमार जीतर ही घोट
त प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक 1 भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी तरा।	सेवा की है । प्रतिनियुक्ति (प्र I. केन्द्रीय सरक	ातिनियुक्ति जिसके अतंर्गत ार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षे	जेसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित अल्पकालिक संविदा भी है) : त्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठ जरी :—
	(क) (i) जो (ii) जि	नियमित आधार पर सदृश प	द धारण किए हुए हैं ; या या समतुल्य वेतनमान वाले पदों
		वि नियामत सवा का हु; जार	and a second
	विहित शै	क्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।	
	विहित शॅं II. उपाचार्य (ने श्रेणी में दो जाएगा और प्रोन्नति द्वारा पोषक प्रवर्ग के प्रे	क्षिक और अन्य अर्हताएं हैं। त्र विज्ञान) की श्रेणी में ऐसे वि वर्ष नियमित सेवा की है, ब यदि उसका पद पर नियुकि भरा गया समझा जाएगा। ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रे	भागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने ाह्य व्यक्तियों के साथ विचार वि त के लिए चयन हो जाता है तो जनति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियु
	विहित शैं II. उपाचार्य (ने श्रेणी में दो जाएगा और प्रोन्नति द्वारा पोषक प्रवर्ग के पर नियुक्ति के दि प्रोन्नति द्वारा नियु	क्षिक और अन्य अर्हताएं हैं। त्र विज्ञान) की श्रेणी में ऐसे वि वर्ष नियमित सेवा की है, ब यदि उसका पद पर नियुक्ति भरा गया समझा जाएगा। ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रे तुए विचार किए जाने के पात्र न जित के लिए विचार किए जाने	भागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने ह्य व्यक्तियों के साथ विचार वि त के लिए चयन हो जाता है तो ज्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियु हीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्य

C-

[भाग II-	खण्ड 3(i)]	antrances.	भारत का राज	पत्र : मार्च 1	2003/951	ल्गुन 10, 1924	MACIAL MACIAL	and the second sec
Jan	13		generalite server anny				E.	509
समूह क'	विभागीय प्रोन्नति	ने समिति फोज	विके गंवंश में			海"山市(3)时主		
 अध्यक्ष, २. गृह सनि ३. सचिव, 4. प्रधानाच 	/सदस्य संघ लोक वव, चंडीगढ़ प्रश आयुर्विज्ञान शिक्ष ार्य, सरकारी आर् न, चंडीगढ़	' सेवा आयोग ासन 1 और अनसंध	न, चंडीगढ एशा	— अध्यक्ष — सटस्य	, parisi	सीधी भर्ती प्रतिनियु संविदा भी है) पर नि आयोग से परामर्श व	ायुक्ति करते समय करना आवश्यक है	संघ लोक सेवा । को गानका क
Million 1					1.1	and the states	din di usi	
ज्येष्ठ	2	3 साधारण	4	5	atter in	6	Topon	7
प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान)	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननु- सचिवीय	14300-400- 15900 -450- 18150 रु. और प्रैक्टिस-बंदी भत्ता	होता 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	सरकारी सं जारी किए 5 वर्ष तक टे प्पण : नेर्णायक र नेर्णायक र नेर्पायक र रोगी । (न रेघालय, ३ गिर स्पीति बंड, अंदम	अधिक नहीं। नेवकों के लिए केन्द्रीय र गए अनुदेशों या आदेः शिथिल की जा सकर्त आयु-सीमा अवधारित तारीख भारत में अभ्यार्थ के लिए नियत की गई के लिए नियत की गई कि वह अंतिम तारीर अरूणाचल प्रदेश, मिज त्रिपुरा, सिक्किम, ज तिले तथा चम्बा जिले जिले तथा चम्बा जिले जान और निकोबार द्वी	सरकार द्वारा शों के अनुसार ो है)। करने के लिए ग्यों से आवेदन अंतिम तारीख ख जो असम, ोरम, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर देश के लाहौल के पांगी उप- प या लक्षद्वीप	Chardigath, Chardigath, Gazetted Per (2. 1 scale of cety
Andrew The Party	alul a ch p	antois agus	inia grada anda	the second se	and in the other day of the local day of the	that the ether parties	Tiolando oli	most ensate
abar is smith	in the start of the	0128 (b. 164)	Julia and At 1	o ia laonavia	vo) Fire)	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	10	
 भो जनुसूचिया किसी राज्य आन् होना चाहिए। (ii) किसी मा 	न साम्मालत का मुर्विज्ञान रजिस्टर न्यताप्राप्त विश्ववि	इ मूल ावश्वाव या भारतीय अ	द्यालय या समतुल ायुर्विज्ञान रजिस्टर	य अर्हता और में रजिस्ट्रीकृत	n esta Rodoz N Pueza N Pueza	नागू नहीं होता के कि	एक वर्ष	annasitations Servicemen
एस. (नत्र विज्ञा (iii) स्नातको मान्यताप्राप्त सरव	न) या समतुल्य। त्तर अर्हता प्राप्त तारी आयुर्विज्ञान म	करने के पश्च हाविद्यालय/शि	ात् संबंधित विशे क्षण संस्था में प्राध	षज्ञता में किसं यापक/रजिस्टार	s airca?	(Trinstification		Name of 1905
टिप्पण 1 : ३	/परिदर्शक/ट्यूटर भर्हताएं, अन्यथा ननुसार शिथिल व	सुअहित अभ्य	र्थियों की दशा में	गुभव। संघ लोक सेव	r .			
अनुसूचित जातियो	नुभव संबंधी अर्हता i और अनुसूचित ज	नजातियों के अ	भ्यर्थियों की दशा में	নৰ সিথিল কা				
जा सकता है जब उनके लिए आरक्षित	चयन के किसी प्र । रिक्तियों को भरने ार्याप्त संख्या में उप	क्रम पर संघ लो के लिए अपेक्षि	क सेवा आयोग कं 1 अनभव रखने व	ो यह राय है कि गले उन समुदायों	Ra 18, 98) 912, 85) 91, - 24	General Central Service Oroup A' Gassited Nerr-Ministeme	01*(2003) Bishjod Grysfied Greendenf	LPröfessor (Ophnal mology)
11		ties po sunt Suga) eda vo	2011+201 120102-1	900 9100	anaran Taratza	10	Babilitowy no.	
सीधी भर्ती	हारा	- Anna	and a second second second			12 	N	
					ल	गगू नहीं होता		

435 GI/2003-7

. An

	1102A. MARCH 1,2005/111ALOC	[FART II-SEC. 5(1)]
13	N PRANTOOS I PAR LEVER IF I	1992 ((i)しまでピール(***) 14 117
(पुच्टि के संबंध में विचार करने के लिए) सम्	ह 'क' विभागीय प्रोन्नति समितिः	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
 गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 	-अध्यक्ष	करना आवश्यक है। के इतिमध्ये के अवस्
 सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चं 	डीगढ़ प्रशासनसदस्य	ि अध्यक्षसंबंध संब लोक होगा आयोग है।
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय	A CARL AND A	्राम् संस्थित प्रयोगित प्राप्त के
अस्पताल, चंडीगढ़	TIZIT	
 संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष 	मरकारी	 भगित, आयुर्विताम सिदा: और अनुरोधान, संदर्भ
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंड		 , মথানাৰাথ, মংকার্ট ওল্টেরনে থারবিলেলেত । আলমার করিলে

New Delhi, the 14th February, 2003

G. S. R. 92.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of **Professor (Ophthalmology)**, **Reader (Ophthalmology) and Senior Lecturer (Ophthalmology)** in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Ophthalmology), Reader (Ophthalmology) and Senior Lecturer (Ophthalmology) (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification .--- No person,---

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE
Name of post	Number of post	Classification	Scale of PayWhether selection by merit or selection- cum- seniority
1	2	3	व पूर्ण सत आदियों और आनुस्थित जनवातियों के आ 6 कि को बगा घे हैं। जिने को बगा घे है
1.Professor (Ophthal- mology)	01* (2002) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 18,600- Not- 500 22,100/-Not exceeding fifty yearsYes2100/- Plus Non- practicing Allowance.Not exceeding fifty yearsYesRelaxable for Government servants upto five years in instructions or orders issued by the Central Government).Yes

- ANAPARA SAA

[[]सं. वी. 24011/10/2002-एम ई डैस्क-II] एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

		ार्च 1, 2003/फाल्गुन 10,	1924	511
			ficient number of)of tort objects out of energy
		dete be th of canc the c those Arur	e.— The crucial date for rmining the age limit shall the closing date for receipt applications from lidates in India (and not losing date prescribed for	torseesing the r are not likely to pathe posts res Verivable: Minimum foue f udexed to Index outtach and on
Cheramitatines fronthalp Union 1 - Union Creater Concensearen on hersum-alted installated Poor ministre installated Poor ministre installated Poor ministre installaten ante	ngslagger 3 stool	Laha Pang distr Anda	i Sub-division of Chamba ict of Himachal Pradesh, uman and Nicobar Islands kshadween.	lepmation/abso which promotic bsorption to b
Contra da Serie das Contras das composes das contras das co		na ng sina ang sina na s ina. Mataos	Second Repairs Sales Flaring St	
required for direct recruits	Whether age and educational quali- fications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	nan Medical Collina	or by deputation/absorpt percentage of the posts to by various methods	omotion ion and be filled
8	9	10	Consequivelents to the second se	that
Essential : (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.	Age : No Educational Qualifications : Yes	One year for direct recruits.	Promotion/deputation (Including short term contract) failing which by direct recruitment.	lites trevely sufficient 1. The Personner
ii) M.S. (Ophthalmology)/ M.D. (Ophthalmology) from a recog Jniversity/ Institution or equivalent	nized		i sciected for the post, the some to have been filled	
(iii) Ten years experience in the profession after acquiring postgra- duate qualification, out of which four years should be as Reader/ Associate Professor in a Recognized Medical College/ Teaching Institutio			al Officer in the who are in the direct a stail net be eliginle a for appointment on llariy, departments ble for considerntion	The Department beder catagory into of promotis or consideratio leputetion. Sim hall are see file
Note 1 :— Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.			by promonon initon/Contract for Deputation/ her ex-oudro posi v proceding this he same or some	neludit gan elec Contract (cano) old immediatel
Note 2 : The qualification(s) regarding ex- perience is/are relaxable at the dis- perience is/are relaxable at the dis- dis- d			saldepartment of crothent, shall cood dive year's. to lunk for appoint- ion (including short nall be not exceeding t on the closing date	ther organizati as Central Govi rdinarily not as he maximm a non by deputation wroteontracty al

57

4.

4

1924	5281_0		tor: L部			ar appro	genera di di se	{{t}€ ₹	<u> </u>
a posta an Schept S a spain pri de genieral	donaran donaran do arti- gat- gat- gat- gat- gat- gat- gat- gat							1	- J (incer - []) erect softett
Commi	`a Depar ommitte ompositi	ee exists,	Promotion what is its			Unio	oumstances on Public S omission to aking Rec	Service o be con:	sulted
10 10 14 10 14	10 1.4.4	13	é misi daj	Sec. St.	a Maria		14	NS26-63	i-Respitals
or consid Home S Chandig Secretary Medica Chandig Principa Govern	consider ome Sect handigat cretary, ledical E handigat incipal, overnme	ring conf retary, rh Admir Educatior rh Admir	cal College	: (arch, ⁺)	Committee Chairman Member Member	Uni Con on e	sultation v on Public S mission is each occas	Service necessary ion.	dugational ther qualific iquined (or (cruite 8
			0 She sht s Status		er No bicationar bicationar		Niciaja 18 Secondaria	distrivit hebulon	stoniat A basic U alification
							Societano Societano Jacietano Rej Itano e c	(01)/974 e ni b co sora asit 'social cloridisti vacionii	s Scheinitzs Maroli Acs. 1 Mar be vegist Stater or ind M.S. (Optita D. (Optita iversity: in
						bes Notifi	toe in the ing poster of which iffeactor iffeactor uppe Institu	auperies * acquir 1940 - Sur 1940 - Ser 20 Teaci 20 Teaci 20 Teaci 20 Teaci) Ten years theriton after the qualifies years sho dicat collag dicat collag le 1
						106 25	white Story E condider at the dis- at the dis- dis-sectus of corres Fellows at	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	retion of the htmission of the threse wells of a state qualificate ence is/are ton of the U variation in variation in es or the Se
					tonist ipsi: n/tr leaund b gewent in			die Service of earci- teheduice Tribes, If	mon Public Kerning the case of carni- the case of carni- the the Scheduled heduled Pithes, It selection, the Union

2	3	4	5	6		3412
2. Reader 01* (2002) (Ophthal- mology) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	20. 100/- PI LIS	Not applicable	Not exceeding fifty year's (Relaxable for Government servants upto five year's in accord- ance with the instructions or orders issued by the	italitan tadi not mbanat mbahi	tildo baso teoq a ere
and a second s	uisno Jaguna adire L		a dina maja	Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh	a able: Anne Reit Paa Mile Anne Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mil	Deol antai anot anot
				land, Tripura, Sikkim	O add to stool it.	Q.je
	ite ini Maria	มะสุนัยง เหรือ 1971 - 1971 - 1971 1971 - 1971 - 1971	, Mediail Fili 16 (Chanding 164 Ripsemin M 1755 (Chang) Cl	Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of	tato badios ² entratio s ^a cen (1) Halding nu regular casis, o Videnco casis,	102; 30. (1) (10. (1)
and the second				rimachai Pradesh.		
				Andaman and Nicohor		
		and the	a desidente n Salasibate n	Angaman and Nicobar	AND STREET	
	134100 Q	and the second se		Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		a) anc
) A basic University or equiv	9 Age : No valent Education	10 One al direc		Islands or Lakshadweep). Il Promotion/deputation (i short term contract) faili	including	dio nib 11.
 A basic University or equivualification included in any or ualification included in any or eschedules to the Indian M ouncil Act, 1956 (102 of 1956) ust be registered in a State M egister or Indian Medical Reg M.S. (Ophthalmology)/M.E. Ophthalmology) from a recogniversity/Institution or equiv i) Five year's teaching expense concerned speciality quiring postgraduate qualities Assistant Professor ecturer/Lecturer in a recognitional professor in a recognitional college/Teaching Institution 	9 Age : No valent Education one of Qualificat edical Yes and edical gister. hized alent. rience in v after fication /Senior ognized itution.	10 One al direc	year for	Islands or Lakshadweep). II Promotion/deputation (i short term contract) faili by direct recruitment.	including ing which ing which ing which ing a share of the strength ing a share of the	and on the state of the state o
8 Cossential : i) A basic University or equivulification included in any of the Schedules to the Indian Methods to the Indian Methods to the registered in a State Methods be registered in a State Methods (102 of 1956) (100 M.S. (Ophthalmology)/M.D. D.	9 Age : No valent Education one of Qualificat edical Yes and edical gister. hized alent. rience in v after fication /Senior ognized itution. xable at c Service	10 One al direc	year for	Islands or Lakshadweep). II Promotion/deputation (i short term contract) faili by direct recruitment.	including including ing which and gravitation ing which and an arrow of barrelation barrelation includies and barrelation includies and barrelation includies and barrelation includies and barrelation includies (cruci- tations (cruci- tati	and the first of t

ġ

514 THE GAZETTE OF INDIA :	MARCH 1, 2003/PHALGUNA	10, 1924	[PART II-S	EC. 3(i)]
8		E.	À	
Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable:	20,1004-91,05	Ormanic Ormup M Service Graup M Garanteol, IVon-Mhaistoria	ot * (2002) *Subject to variation dependent to worklood	2. Re <u>artes</u> (Oplithal- mology)
Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/ National fournals		Life and	uttore in shirt	
			and the best the	1990 11
12 badicustra territoria a	13	a tunto	14 Marchantent	
short-term contract) (for conside 1. Officers of the Central / State 1. Home Se Governments/ Union Territories/ Chandigarh	Departmental Promotion Commering confirmation) : ecretary, Administration —Chairr	Union F Commis	ation with bublic Service sion is necessary occasion.	

Statutory bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis, or (ii) With two year's regular service in posts in the scale of pay of

Rs. 14300-18300/- or equivalent; and

(b) Possessing the educational and other qualifications prescribed for. direct recruits under column (8).

II. The Departmental Officer in the grade of Senior Lecturer (Ophthalmology) with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith the outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The Department Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similary, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/ Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including shortterm contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications).

2. Secretary, Medical Education and Research, Chandingarh Administration -Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh -- Member 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh -Member

qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Registor

(ii) M.S. (Ophthalmology/M D (Ophthalmology) from a neovalized University/Institution or equivalent

(iii) Five year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer in a recognized Medical College/ Feaching Inchistion.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Complission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification()) reganning experience is are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled. Castes or the Scireduled Triber 11 at any stage of selection, the Union

1	2	3	4	5	6		7	
. Senices	01*(2002)	General Central	Rs. 14,300-400-	Not	Not exceeding fifty	v	No	_
echuer	*Subject to	Service Group 'A'	15,900-450-	applicable	year's	bldebilg		
	variation	Gazetted,	18,150/- PLUS	Constant Anna	(Relaxable for Gov	/ernment		
gy)	dependent	Non-Ministerial.	Non-Practicing	anter de stati	servants upto five			94-54 ·
	on workload.		Allowance.	CA descinant	accordance with th			1
					tions or orders issu			
					Central Governmer			
					Note: The crucial			
					ion determining an			
			stehn Chevelle and					
					date for receipt of a cations from candi			
					closing date presci		and the second second	
					for those in Assan			
					Meghalaya, Arunach			
					Mizoram, Manipur,	Naga-		
					land, Tripura, Sikl	cim,		
					Ladakh Division			
				i data anhi	Jammu and Kashmi			
					Lahaul and Spiti I	District		
					and Pangi Sub-Div	ision		•
					of Chamba Distric		VIII.	
				102 STREET	Himachal Prades Andaman and Nic			
			Paratel et anno 19		Islands or Lakshad		म्बिलिय	
			////////		Islands of Lakshak	iweep).	क्षेत्रार दि	a list?
			and the second second		and the second second second			
8			9	the trail fails of the	10	5 II.	Et	
alification e Schedule ouncil Act.	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19	quivalent iy one of an Medical 956) and		ALC: NOT THE	One year		(2)	
alification e Schedule ouncil Act, ust be regis egister or Ir) M.S. (Op .D. (Ophth cognized U uivalent.	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology)/ almology) froi Jniversity/Insti	nuivalent ny one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or		विति संपूर्ण (१९४१२ क. १९ वे २२ द्व्वहेल्ल्स् १ द्वहो	ন সময়েন কী দেশে হয় শিক্ষা বী ভয়ত হ মনু জা কাপা জী ভয়ত হয় হা লী কাপা জী লোক লি আৰু কাপা হলৈ হ) के तत्रपत्र प वे सिरु इ इन सर परवत् व सर्व की प्रत्य	(2) 2. 3 01397 4.	3.47 8 2
alification e Scheduko ouncil Act, ust be regis egister or Ir) M.S. (Op .D. (Ophth cognized U uuivalent. i) Three ye	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology)/ almology) from Iniversity/Inst ar's teaching es	nuivalent ny one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience		विषय संघर भूति का संस्थिति भूति का संस्थिति विषय है का सर्वे आईसाएँ और	ने वर्षसाल को क्रांग को जिस्सो से साम द सन्द को किस्मा और नेताल्यान २) में गोवा और नेताल्यान नि, आचु-सीमा कोन ज) के तो नपत्र प वे निकाद द्वार संद परिवर्ग द सार्व की प्रदेव की की कर्गका	(2) 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4.	1,414
alification e Scheduko ouncil Act, ust be regis egister or In) M.S. (Op).D. (Ophth cognized U uivalent. i) Three ye the cond	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology)/ almology) from Iniversity/Inst car's teaching es cerned special	nuivalent ny one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after		विषय संघर भूति का संस्थिति भूति का संस्थिति विषय है का सर्वे आईसाएँ और	ने वर्षसाल को क्रांग को जिस्सो से साम द सन्द को किस्मा और नेताल्यान २) में गोवा और नेताल्यान नि, आचु-सीमा कोन ज) के तो नपत्र प वे निकाद द्वार संद परिवर्ग द सार्व की प्रदेव की की कर्गका	(2) 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4.	1,414
alification e Scheduk ouncil Act, ust be regis egister or In) M.S. (Op .D. (Ophth cognized U uivalent. i) Three ye the conc quiring po	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) almology) from Jniversity/Inst ar's teaching es cerned special stgraduate qua	nuivalent ny one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification		विषय संघर भूति का संस्थिति भूति का संस्थिति विषय है का सर्वे आईसाएँ और	ने वर्षसाल को क्रांग को जिस्सो से साम द सन्द को किस्मा और नेताल्यान २) में गोवा और नेताल्यान नि, आचु-सीमा कोन ज) के तो नपत्र प वे निकाद द्वार संद परिवर्ग द सार्व की प्रदेव की की कर्गका	(2) 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4.	1.484 1.484
alification e Schedule ouncil Act, ust be regis egister or Ir) M.S. (Op .D. (Ophth cognized L uivalent. i) Three ye the conc quiring po	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology)/ almology) from Jniversity/Insti- ar's teaching ec cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen	nuivalent ny one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification ior		(तील मेथुल) (ते स्वेस का गिर् के प्रिंस का गिर् के प्रिंस का गिर् के प्राकृति का गिर का क्राव्यक्ष कि	न वर्षस्य की स्वान के निष्क्षी से द्याव द सन् कर्ष काण और संस्वयन र ने लोग को मुल्ला विस्तृकी का स्वान के र व्यक्तिन क) के तो नपर प के निकाद इन मार मोकता, व मार्त की प्रत्न गी की प्रतिका व्यक्ति — व	(3) 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	3.47 8 2
alification e Schedule ouncil Act, ust be regis egister or Ir) M.S. (Op .D. (Ophth cognized L uivalent. i) Three ye the conc quiring po	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology)/ almology) from Jniversity/Insti- ar's teaching ec cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen	nuivalent ny one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification ior		(तील मेथुल) (ते स्वेस का गिर् के प्रिंस का गिर् के प्रिंस का गिर् के प्राकृति का गिर का क्राव्यक्ष कि	न वर्षस्य की स्वान के निष्क्षी से द्याव द सन् कर्ष काण और संस्वयन र ने लोग को मुल्ला विस्तृकी का स्वान के र व्यक्तिन क) के तो नपर प के निकाद इन मार मोकता, व मार्त की प्रत्न गी की प्रतिका व्यक्ति — व	(3) 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	3.47 8 2
alification e Scheduk ouncil Act, ust be regis egister or Ir) M.S. (Op .D. (Ophth cognized L uivalent. i) Three ye the cond quiring po Lecturer/ esident/Der cognized N	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology)/ almology) from Jniversity/Insti- ar's teaching ec cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen	auivalent an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification ior itor in a e/Teaching		भारत संपूर्ण (भारत संपूर्ण (भारत संपूर्ण (भारत संपूर्ण (भारत संपूर्ण (भारत स्वायक)	। वर्षस्वा की क्रम्स क निष्क्षी से दाल द समूर की काण और स्वतन्त्र र में स्वेच को स्वतन्त्र नि समूर्णको क स्वतन्त्र र व्यक्ति – र) के तो सपछ थ के किए हु इस मार संकल्फ क की के रुप क मार्ट की प्रत्ये व्यक्तिस — व (व) जिस्तान	(3) 2, 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	े भाषप्र भाषप्र
alification e Scheduk ouncil Act, ust be regis egister or Ir) M.S. (Op I.D. (Ophth cognized U uivalent. i) Three ye the cond cquiring po Lecturer/ esident/Der cognized M stitution.	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- ar's teaching es cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College	uivalent by one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification ior itor in a e/ Teaching		भारत संपूर्ण (भारत संपूर्ण (भारत संपूर्ण (भारत संपूर्ण (भारत संपूर्ण (भारत स्वायक)	। वर्षस्वा की क्रम्स क निष्क्षी से दाल द समूर की काण और स्वतन्त्र र में स्वेच को स्वतन्त्र नि समूर्णको क स्वतन्त्र र व्यक्ति – र) के तो सपछ थ के किए हु इस मार संकल्फ क की के रुप क मार्ट की प्रत्ये व्यक्तिस — व (व) जिस्तान	(3) 2, 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	वेगव्य भग्न १
alification e Scheduk ouncil Act, ust be regis egister or In) M.S. (Op .D. (Ophth cognized U uivalent. i) Three ye the cond quiring po Lecturer/ esident/Dei cognized M stitution.	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- car's teaching es cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College	nuivalent ny one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification ior ntor in a e/ Teaching		विति संपूर्ण के संसंद के कि उसके के संसंद के के स्वयन्त्र के स्वयन्त्र के स्वयन्त्र के स्वयन्त्र के स्वयन्त्र के स्वयन्त्र के स्वयन्त्र	न वर्ष्ट्रावन की क्रम्स क निष्क्रमों से द्याल 4, सपुर की कारण और व्यवस्थान र जे क्रम्प का का का न व्यक्ति क क्रम्स र प्रमे का का अपना क) के राजपुर के कि	(3) 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	a kala
alification e Scheduk ouncil Act, ust be regis egister or Ir) M.S. (Op .D. (Ophth cognized U uivalent. i) Three ye the conc quiring po Lecturer/ esident/Det cognized M stitution. ote 1 : Qua scretion of ndidates of	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- ar's teaching et cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are in the UPSC in c therwise well c	uivalent y one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification ior itor in a e/ Teaching relaxable at the case of qualified.		भाषा गरित हाल सम्बद्ध हाल स्वतः दे विसन्द दे के रस्वताकृ क्र	न वर्ष्ट्रास्त की क्रांग क निष्क्षों से द्यान 4 कपूर की काण और वत्वक्षा र जे क्या क क्रांग के ज न र्णक्षि, - र र्णक्षि, - न र्या क्या क न्याका क नहीं होफ,) रं ा वयत । वे विरुद्ध इन पर परवा ह वे वे वर्ग को प्रवेक न्याहेला — (य) वियन द्वारा का प्रव	(2) 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
alification e Scheduk ouncil Act, ust be regis egister or Ir) M.S. (Op .D. (Ophth cognized U uvalent. i) Three ye the cond equiring po Lecturer/ esident/Det cognized M stitution. ote 1 : Qua scretion of mdidates of	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- ar's teaching et cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are in the UPSC in c therwise well c	uivalent an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after ulification ior tor in a e/ Teaching relaxable at the case of qualified. s)		भागमा माग्रे भागमा सम्पर्भ (भागमा सम्पर्भ (। वर्षसम्बद्धे क्रांग हो विषयो से उपार द संसुर स्वी कारण और राजस्थान र जे ने पा का कार क र स्वी क्रांस का कारने क र स्वी क्रांस का कारने क नदी क्रांस ,) के तो नगर 2 के निकाद देव मह मंतर 2 के में के राग मंत्रे की पूर्वल मार्ट्स	(2) 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	ागवा भन्द २ वेका गा
alification e Schedule ouncil Act, ust be regis egister or Ir) M.S. (Op .D. (Ophth cognized L uivalent. i) Three ye the cond quiring po Lecturer/ esident/Der cognized N stitution. ote 1 : Qua scretion of ndidates of ote 2 : The garding ex	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical withalmology) from Iniversity/Insti- ar's teaching ec cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are not the UPSC in con- therwise well co- equalification(perience is/ are	uivalent an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after ulification ior tor in a e/ Teaching relaxable at the case of qualified. s)		भागमा माग्रे भागमा सम्पर्भ (भागमा सम्पर्भ (। वर्षसम्बद्धे क्रांग हो विषयो से उपार द संसुर स्वी कारण और राजस्थान र जे ने पा का कार क र स्वी क्रांस का कारने क र स्वी क्रांस का कारने क नदी क्रांस ,) के तो नगर 2 के निकाद देव मह मंतर 2 के में के राग मंत्रे की पूर्वल मार्ट्स	(2) 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	ागवा भन्द २ वेका गा
alification e Scheduko ouncil Act, ust be regis egister or In) M.S. (Op .D. (Ophth cognized L uivalent. i) Three ye the cond cognized N stitution. ote 1 : Qua scretion of mdidates of ote 2 : The garding ex laxable at t	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State dian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- ar's teaching et cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are p the UPSC in c therwise well c e qualification (perience is/ are	uivalent y one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after ulification ior itor in a e/ Teaching relaxable at the ase of ualified. s) b of the		विषय गरित भाषा गरित भाषा है विद्य है विद्य पर विद्य के वी बाह कि पर है वी बाह कि पर	। यत्र ताल की जनन के निषकों में उदान द संतुर स्वी काल और नेतन्त्रान र ने तानु-सी मा नेत ज व काल्यून र र व्यक्तिन र के र ने प्रति क जनन न के र के प्रति क जनन न के र के रिय क जन स्वान) के तो सपन के के किए है कि कि का के कि का के कि का के के के के के कि	(2) 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,	ागवा भन्द २ वेका गा
alification e Scheduko ouncil Act, ust be regis egister or In) M.S. (Op .D. (Ophth cognized L uivalent. i) Three ye the cond cognized N stitution. ote 1 : Qua scretion of mdidates of ote 2 : The garding ex laxable at t	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State dian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- ar's teaching et cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are p the UPSC in c therwise well c e qualification (perience is/ are	uivalent y one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after ulification ior itor in a e/ Teaching relaxable at the ase of ualified. s) b of the		विषय गरित भाषा गरित भाषा है विद्य है विद्य पर विद्य के वी बाह कि पर है वी बाह कि पर	। यत्र ताल की जनन के निषकों में उदान द संतुर स्वी काल और नेतन्त्रान र ने तानु-सी मा नेत ज व काल्यून र र व्यक्तिन र के र ने प्रति क जनन न के र के प्रति क जनन न के र के रिय क जन स्वान) के तो सपन के के किए है कि कि का के कि का के कि का के के के के के कि	(2) 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,	ागवा भन्द २ वेका गा
ialification e Scheduko ouncil Act, ust be regis egister or In) M.S. (Op) D. (Ophth cognized U uivalent. ii) Three ye the cond cognized M stitution. ote 1 : Qua scretion of mididates of ote 2 : The garding ex laxable at 1 nion Public ex case of c	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are no the UPSC in c therwise well co e qualification (perience is/ are is Service Common conditates belo	uvalent y one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification ior itor in a e/ Teaching relaxable at the case of qualified. s) e of the mission in onging		विषय गरित भूष संस्थित भूष संस्थान संस्थान संस्थान प्रतियान ब्रह्मान संस्थान संस्थान हे संस्थान स्थान	। वर्षसाय की प्रयोग को विषयों में उपाय बचुर की काम और यसकार रेगे में नेपा को प्रयोग के जानु सी प्रायोग के रे एसे का का नेपा के प्र से पर का पर नेपा रा अपना क से पर का पर का पर नेपा को प्रायित - प्रयोग के) के तो सपल प के निकार इस पह परवार का मी के का र पति की प्रयोक्त पति की प्रयोक्त (क) जिसक कर के प्रया कर्मर के मा क पति क्या क	(2) 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,	भारत भारत वर्ष-ग
alification e Scheduk ouncil Act, ust be regis egister or In) M.S. (Op .D. (Ophth cognized U uivalent. i) Three ye the cond quiring po Lecturer/ esident/Dei cognized M stitution. ote 1 : Qua scretion of mdidates or ote 2 : The garding ex laxable at 1 nion Public e case of c	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- car's teaching et cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are in the UPSC in c therwise well c e qualification (perience is/ are che discretion c c Service Com- candidates belo	uvalent y one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification ior ntor in a e/ Teaching relaxable at the case of qualified. s) e of the mission in onging the		विषय से सिंह भूम से से से के भूम से से के से के सिंह में से सिंह से से के स्वीमित प्र ही के सह सिंह से ही के सह सिंह से	। वर्षसम् की प्रयोग क निषम्मी से द्याय क सुर की काम और वादस्था र जे त्या क का भाग जे ज न मास का का प्रयोग ज र एसे का का न का का न स्वी कोग . जी मासिक - मया के) के तो सपल प के निकाद इस पार पॉल्डा, क मी के लग कार्त की प्रदेश मा की प्रदेश कि की प्रदेश के पर के कि की परिवास कार्य परिवास कार्य परिवास कार्य	(3) 2, (3) 3, (3) 3, (3) 4, (3) 5, (3) 4, (3	्र सन्द विक्रम
ialification e Scheduko ouncil Act, ust be regis egister or In) M.S. (Op I.D. (Ophth cognized U uivalent. ii) Three ye the cond cognized M stitution. ote 1 : Qua scretion of mididates or ote 2 : The garding ex laxable at 1 nion Public e case of c	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- car's teaching et cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are in the UPSC in c therwise well c e qualification (perience is/ are che discretion c c Service Com- candidates belo	uvalent y one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification ior ntor in a e/ Teaching relaxable at the case of qualified. s) e of the mission in onging the		विषय से सिंह भूम से से से के भूम से से के से के सिंह में से सिंह से से के स्वीमित प्र ही के सह सिंह से ही के सह सिंह से	। वर्षसम् की प्रयोग क निषम्मी से द्याय क सुर की काम और वादस्था र जे त्या क का भाग जे ज न मास का का प्रयोग ज र एसे का का न का का न स्वी कोग . जी मासिक - मया के) के तो सपल प के निकाद इस पार पॉल्डा, क मी के लग कार्त की प्रदेश मा की प्रदेश कि की प्रदेश के पर के कि की परिवास कार्य परिवास कार्य परिवास कार्य	(3) 2, (3) 3, (3) 3, (3) 4, (3) 5, (3) 4, (3	्र सन्द विक्रम
alification e Schedule ouncil Act, ust be regis egister or Ir I) M.S. (Op I.D. (Ophth cognized U uivalent. ii) Three ye the cond cquiring po Lecturer/ esident/Der cognized N istitution. ote 1 : Qua scretion of mdidates of ote 2 : The garding ex laxable at 1 nion Public the Sched cheduled T f selection,	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- ar's teaching ec- cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are no the UPSC in c therwise well con- equalification (perience is/ are he discretion co- condidates below uled Castes or ribes. If at any the Union Pub	quivalent by one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after ulification ior itor in a e/ Teaching relaxable at the case of qualified. s) of the mission in onging the y stage		भषामगानि हिंद करनेक हैं। किंदा में कि पर किंदा में कि पर के रहमाने के क हैं की बह किस्सी कि सकस कर करने हो मासस कर	स्वयंत्रम् की स्वान्त्र का निष्ठमा से उपाव यु सन्त की कारण और वायस्थान र जे ने का यु से पा स्वेत्र ज त का पुर्वे के स्वार्थन्त्र र व्यक्ति, न स्वार्थन्त्र से स्वार्थन्त्र यह स्वार्थन की माजिस्य - स्वार्थन्त्र की माजिस्य - स्वार्थन्त्र र स्वार्थन्त्र स्वार्थन्त्र) के तो सपन प के सिक ह इन मह संकर इन मह संकर के मह से कर क मह से प्रांज किस का मह ज्याद सम कर के का म मह सम कर के का म मह सम कर के का म मह सम कर का म मह सम कर का म कर का म का म का म का म का म का म का म का म	(3) 2, (3) 3, (3) 3, (3) 4, (3	्याच्य भाषा व्यक्तार कार्यान्ड् ही साम्र
alification e Schedule ouncil Act, ust be regis egister or Ir) M.S. (Op I.D. (Ophth cognized L uivalent. i) Three ye the cond cquiring po Lecturer/ esident/Der cognized N stitution. ote 1 : Qua scretion of mdidates of ote 2 : The garding ex laxable at 1 nion Public e case of c the Sched cheduled T f selection,	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- ar's teaching ec- cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are no the UPSC in c therwise well con- equalification (perience is/ are he discretion co- condidates below uled Castes or ribes. If at any the Union Pub	quivalent by one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after ulification ior itor in a e/ Teaching relaxable at the case of qualified. s) of the mission in onging the y stage		भषामगानि हिंद करनेक हैं। किंदा है क किंदा है क के रहना के किंदा के से बह किंदी है से बह किंदी कि राजका क	स्वयंत्रम् की वर्गन को निष्ठमां से उपल व संपुर की कारण और वयंत्रमान र जे ने का स्वाप्ति के व्याप्त का स्वाप्ति के व्याप्त र व्याप्ति के का स्वाप्ति के स्वार्ग्तन के संग्रामन की याजिस् स्वाप्तेन के संग्रामन स्वाप्तान र का यहंगा स्वाप्तान) के तो सपन प के सिक ह इन मह संकर इन मह संकर के मह से कर क मह से प्रांज किस का मह ज्याद सम कर के का म मह सम कर के का म मह सम कर के का म मह सम कर का म मह सम कर का म कर का म का म का म का म का म का म का म का म	(3) 2, (3) 3, (3) 3, (3) 4, (3	्याच्य भाषा व्यक्तार कार्यान्ड् ही साम्र
alification e Schedule ouncil Act, ust be regis egister or Ir D.M.S. (Op I.D. (Ophth cognized U uivalent. ii) Three ye the conto couring po Lecturer/ esident/Den cognized M astitution. ote 1 : Qua scretion of mdidates of ote 2 : The garding ex laxable at t nion Public the Sched cheduled T f selection, ervice Com- pinion that	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- car's teaching et cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are a the UPSC in c therwise well c e qualification (perience is/ are che discretion c c Service Com- candidates belo uled Castes or ribes. If at any the Union Pub imission is of the sufficient num	quivalent by one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification ior ntor in a e/ Teaching relaxable at the case of qualified. s) e of the mission in onging the y stage blic he aber of		विषय गयित स्वाय गयित स्वाय है विवय है विवय है स्वाय स्वाय प्राय प्राय स्वय है तो बाह किस्ते के राजकार क	। वर्षसम् की प्रयोग को विषयों की उपाय को प्र की काम और यस खान की काम और यस खान की काम की का यह का का स्त्र की का का का का नहीं होगा . भी स्वीय के कि मान की माबिस मया के कि साव की की की का का की कि साव की की की की का का कि साव की की की की की) रं ्यमप्र । वे निरुद इन पर संस्कृत इन हो के स्वय मां की प्रायन मां की प्रायन पर्वा प्रायन प्रायन का प्राय पर्वा प्रायन प्रायन का प्राय प्रायन का प्राय प्रायन का प्राय प्रायन का प्राय प्रायन्त्र प्राय	(2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	भगवा भन्द - वक्रम्य निवित् विवि
ialification e Scheduk ouncil Act, ust be regis egister or In) M.S. (Op) D. (Ophth cognized U uivalent. ii) Three ye the conc equiring po Lecturer/ esident/Dei cognized M stitution. ote 1 : Qua scretion of mididates or ote 2 : The garding ex laxable at 1 nion Public e case of c the Sched cheduled T f selection, prince Com	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- car's teaching et cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are a the UPSC in c therwise well c e qualification (perience is/ are che discretion c c Service Com- candidates belo uled Castes or ribes. If at any the Union Pub imission is of the sufficient num	quivalent by one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification ior ntor in a e/ Teaching relaxable at the case of qualified. s) e of the mission in onging the y stage blic he aber of		विषय गरित स्वाप्त करिय स्वाप्त कर्मक विषय है क विषय कर्मकर क विर्वे कर्मकर कर है के जह किस्स के राजकर कर के राजकर कर कि	 स्वत्साय की स्वान को निष्ठायों के द्यान व संपुर की करण और वय खान के निव मान के स्वान कि नाम की का स्वान के स्वान के सामका को प्रतिष्ठ का स्वान्न की प्रतिष्ठ का स्वान्न कि स्वान्त्र की कोई नाइ स्वान्न) के राजपुरु प के निरुद इन पह पहिला इन मार्ग को प्रतेक पति को प्रतेक पति को प्रतिक पति को प्रतिक क्रिस का पति स्विति का प्रति मार्ग के प्रता मार्ग के प्रता मार्ग के प्रता	(2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	गणन्त्र चन्त्र वन्त्रप्र कार्य्य कार्य्य संकार संकार
alification e Scheduk ouncil Act, ust be regis egister or In)M.S. (Op .D. (Ophth cognized U uivalent. i) Three ye the cond quiring po Lecturer/ esident/Del cognized M stitution. ote 1 : Qua scretion of mdidates or ote 2 : The garding ex laxable at 1 nion Public e case of c the Sched cheduled T f selection, revice Com pinion that andidates fi	Iniversity or ec included in an es to the India 1956 (102 of 19 stered in a State adian Medical hthalmology) from Iniversity/Insti- car's teaching et cerned special stgraduate qua Registrar/ Sen monstrator/ Tu Aedical College lifications are a the UPSC in c therwise well c e qualification (perience is/ are che discretion c c Service Com- candidates belo uled Castes or ribes. If at any the Union Pub imission is of the sufficient num	quivalent by one of an Medical 956) and e Medical Register. m a itution or xperience ity after alification ior itor in a e/ Teaching relaxable at the case of qualified. s) b of the mission in onging the v stage blic he aber of munities cperience		विषय गरित स्वाप्त करिय स्वाप्त कर्मक विषय है क विषय कर्मकर क विर्वे कर्मकर कर है के जह किस्स के राजकर कर के राजकर कर कि	स्वयंत्रम् की वर्गन को निष्ठमां से उपल व संपुर की कारण और वयंत्रमान र जे ने का स्वाप्ति के व्याप्त का स्वाप्ति के व्याप्त र व्याप्ति के का स्वाप्ति के स्वार्ग्तन के संग्रामन की याजिस् स्वाप्तेन के संग्रामन स्वाप्तान र का यहंगा स्वाप्तान) के राजपुरु प के निरुद इन पह पहिला इन मार्ग को प्रतेक पति को प्रतेक पति को प्रतिक पति को प्रतिक क्रिस का पति स्विति का प्रति मार्ग के प्रता मार्ग के प्रता मार्ग के प्रता	(2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	विकास सन्य २ अवस्यार सर्वान्द्र हि स्वाय सर्वान्द्र

16 THE G/	ZETTE OF INDIA: MARCH 1, 2003/PHALGUNA 10, 1924	[Part II—Sec. 3(i)]
Mit a series of the standard series of the standard series of the standard series of the standard series and the standard series of th	13	14
12 Not applicable	 Group 'A' Departmental Promotion Committee (For Considering Confirmation): 1. Home Secretary, Chandigarh Administration — Chairman 2. Secretary, Medical Education & Research, Chandigarh Admn. — Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh — Member 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh — Member 	Consultation with Union (1) Public Service Commission (1) is necessary.
		No. V. 24011/10/2002-ME Desk-II

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 398.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (1) में ''2002 '' अंकों के स्थान पर ''2003 '' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं॰ वी॰-24011/10/2002-एम. ई. डेस्क-II]

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

[PART [I-SEC. [i)]

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 92, तारीख 14 फरवरी, 2003 भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

New Delhi, the 16th November, 2004

G.S.R. 398.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Ophthalmology), Reader (Ophthalmology), and Senior Lecturer (Ophthalmology), (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002,

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Ophthalmology), Reader (Ophthalmology), and Senior Lecturer (Ophthalmology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Ophthalmology), Reader (Ophthalmology), and Senior Lecturer (Ophthalmology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

[No. V.-24011/10/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

Footnote: The Principal notification No. G.S.R. 92, dated the 14th February 2003 as was published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India on 1st March 2003.

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 399.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसृति विद्या और स्त्री रोग), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियम में क्रम संख्या 2 पर उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), के पद के सामने,—